कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 3115 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 15 / 03 / 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राइवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No.-FP/UK/OTHERS/43838/2020)

सन्दर्भ :- 1 - भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./09/69/2023/एफ.सी./928, दिनांक-16.10.2023।
2 - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी (देहरादून) का पत्रांक-75/133/07, दिनांक-05/01/2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से इस कार्यालय को आख्या उपलब्ध करायी गयी है एवं दिनांक-21 फरवरी 2024 प्रस्ताव ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या आपको निम्नवत प्रेषित है :-

क्र०सं०	कमियां	निराकरण आख्या
1.	The Proprosal is for a non- site –specific activity. According to the guidelines dated 24.01.2022, not-site specific activities are not allowed on forest land.	In reply to point no. 1, the user agency has informed that Mostly the area of Mussoorie town falls in notified area. The proposed land is situated in deemed to be forest. Proper site of the STP required a comprehensive study of the area to be served , to ensure that entire area can be adequately drained. The geographical structure and the slope of the Kampy fall zone does not permit to construct STP other site than the proposed site. There is no other land available to construct STP. Hence only proposed site is fasible for STP.
2.	Instead of justifying the proposal activity, the benefits of the proposal have been submitted. The State Government is requested to provide clear reason for not selecting non-forest land for this purpose.	In reply to point no. 2, it has been conveyed by the user agency that mostly the area of Mussoorie town falls in notified area. The proposed land is situated in deemed to be forest. Proper site of the STP required a comprehensive study of the area to be served , to ensure that entire area can be adequately drained. The geographical structure and the slope of the Kampy fall zone does not permit to construct STP other site than the proposed site. There is no other land available to construct STP. Hence only proposed site is fasible for STP.

3.	The proposed area falls within the eco-sensitive zone of Mussoorie Wildlife Sanctuary. The State Government is requested to submit the comments of CWLW regarding this matter.	In response to point number 3, Government of India Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Wildlife Division) letter F.No. 6-104/2019 WL, dated-29.08.2023 is attached.
4.	The area mentioned in FRA is 0.034 ha. instead of 0.165 ha. The State Government is requested to provide clarification in this regard and submit/upload the correct documents/information.	The correct documents related to FRA have been uploaded in the online portal by the user agency.
5.	It has been observed that the NPV sheet submitted uses old rates. Kindly submit the NPV calcution sheet based on the current rates.	The revised NPV sheet based on the current rates is attached and uploaded in the online portal.
6.	The administrative approval submitted is form the year 2009. Please clarify whether it is still valid or requires re-validation.	In reply to point no. 6, it has been conveyed by the user agency that the administrative approval is still valid. (certificate attached)
7.	The muck disposal plan and plantation scheme have not been uploaded, as required. Kindly ensure these documents are submitted/uploaded as well.	In reply to point no. 7, user agency has informed that the structure required cutting and filling of land. So all surplus earth/muck will be used in filling and levelling at the site.(Cerificate attached) Also, the plantation scheme has been attached with this letter and has been uploaded in Part II of the online portal.

अत: भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र से चाही गयी सूचना उपरोक्तानुसार आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि (तीन प्रतियों में)

भवदीय,

(वैभव कुमार सिंह)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 3115 / 12-1, तद् दिनांकित
प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी, ग्राम व पो० सिनौला, देहरादून को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(3)

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Wildlife Division)

6th Floor, Vayu Wing
Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi 110 003
Date: 29.08.2019

F. No. 6-104/2019 WL

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
वन्यजीव, उत्तराखण्ड देहरादून
पंजीकरण सं० 2920
पत्रावली सं० 561
दिनांक 9/9/2019

The Principal Secretary
Department of Environment and Forests
Government of Uttarakhand
Rajpur Road
Dehradun 248 001

Sub: Minutes of 54th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life- reg.

Sir / Madam,

The 54th Meeting of the Standing Committee of National Board for Wild Life was held on 18th July 2019 through Video Conference under the chairmanship of Hon'ble Minister for Environment, Forest & Climate Change. The following proposals pertaining to your State were considered:

Proposal for use of 0.2103 ha of forestland from Mussoorie Wildlife Sanctuary for construction of sewage tank, sewer line, main hole chamber and approach road, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that the proposal is for use of 0.2103 ha of forestland for construction of sewage tank, sewer line, main hole chamber and approach road in the Mussoorie Wildlife Sanctuary. He stated that the State Chief Wildlife Warden recommended the proposal with the following conditions:

(1) The proponent will take all necessary steps to avoid unscientific construction activity.
(2) The proposed construction if executed should be completed within a stipulated time frame.
(3) Use of any type of explosives during construction work will be strictly prohibited.
(4) Apart from other terms and conditions, the various guidelines and instructions issued by MoEF&CC at the time of awarding requisite sanction under FCA 1980, must be followed by the user agency and required amount as stipulated by MoEF&CC should be deposited by the user agency accordingly.

Further the IGF(WL) stated that the State Board for Wild Life has recommended the proposal in its meeting held on 15.04.2015.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the conditions that

(a) The project proponent will comply with all the conditions imposed by the State Chief Wildlife Warden.
(b) The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to Govt. of India.

Proposal for use of 0.165 ha of forestland from Mussoorie Wildlife Sanctuary for construction of sewage tank, sewer line, main hole and approach road, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that the proposal is for use of 0.165 ha of forestland for the construction of sewage tank, sewer line, main hole and approach road in the Mussoorie Wildlife Sanctuary. He stated that the State chief Wildlife Warden recommended the proposal with the following conditions:

(1) The proponent will take all necessary steps to avoid unscientific construction activity.
(2) The proposed construction if executed should be completed within a stipulated time frame.
(3) Use of any type of explosives during construction work will be strictly prohibited.
(4) Apart from other terms and conditions, the various guidelines and instructions issued by MoEF&CC at the time of awarding requisite sanction under FCA 1980, must be followed by the user agency and required amount as stipulated by MoEF&CC should be deposited by the user agency accordingly.

Further the IGF(WL) stated that the State Board for Wild Life has recommended the proposal in its meeting held on 07.11.2016.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the conditions that

(a) The project proponent will comply with all the conditions imposed by the State Chief Wildlife Warden.
(b) The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to Govt. of India.

Proposal for use of 0.034 ha of forestland from Mussoorie Wildlife Sanctuary for construction of sewage tank, sewage chamber, and sewer line, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that the proposal is for use of 0.034 ha of forestland for the construction of sewage tank, sewage chamber, and sewer line in the Mussoorie Wildlife Sanctuary. He stated that the State Chief Wildlife Warden recommended the proposal with the following conditions:

(1) The proponent will take all necessary steps to avoid unscientific construction activity.
(2) The proposed construction if executed should be completed within a stipulated time frame.
(3) Use of any type of explosives during construction work will be strictly prohibited.
(4). Apart from other terms and conditions, the various guidelines and instructions issued by MoEF&CC at the time of awarding requisite sanction under FCA 1980, must be followed by the user agency and required amount as stipulated by MoEF&CC should be deposited by the user agency accordingly.

Further the IGF(WL) stated that the State Board for Wild Life has recommended the proposal in its meeting held on 07.11.2016.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the conditions that

The project proponent will comply with all the conditions imposed by the State Chief Wildlife Warden.

(b) The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to Govt. of India.

Proposal for use of 0.42 ha of forestland for construction of Eco-huts, Information Centre, etc., at Kotli Gandhak, District Almora, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that the proposal is for use of 0.42 ha of forestland for the construction of eco-huts, information centre, etc., in the Binsar Wildlife Sanctuary. The State Chief Wildlife Warden has recommended the project with the condition that if any to be ensured in the interest or wildlife for allowing use of the area.

Further the IGF(WL) stated that the State Board for Wild Life has recommended the proposal in its meeting held on 15.06.2018.

After discussions, the Standing Committee decided to recommend the proposal subject to the conditions that

(a) The project proponent will comply with all the conditions imposed by the State Chief Wildlife Warden.
(b) The annual compliance certificate on the stipulated conditions should be submitted by the project proponent to the State Chief Wildlife Warden and an annual compliance certificate shall be submitted by the State Chief Wildlife Warden to Govt. of India.

Proposal for use of 11.115 ha of land (forestland: 2.565 ha + civil soyam land: 8.190 ha) construction of Kotgaon (Naitwar) to Kalap Motor road, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that the proposal is for use of 11.115 ha of land (8.190 ha of civil soyam land + 2.565 ha forestland) for construction of new road from Kotgaon to Kalap Motor road passing through Govind Pashu Vihar National Park. He stated that the State Chief Wildlife Warden has recommended the project without imposing conditions. Further the IGF(WL) stated that the State Board for Wild Life has recommended the proposal in its meeting held on 20.11.2018.

After discussions, the Standing Committee was of the opinion that more discussion is required on this proposal .Therefore it was decided to defer the proposal.

Proposal for picking of Balu / Bajri / boulder mine at village Dhhakrani, Tehsil Vikas Nagar, District Dehradun from the private land of 2.5893 ha area located at 2.35 km away from Asan Wetland Conservation Reserve, Uttarakhand State

Picking of Balu / Bajri / Boulder mine from an area of 3.1250 ha at Village Dhakrani, Tehsil Vikasnagar, District Dehradun, Uttarakhand State

4

Proposal for collection river bed materials (RBM) from an area 10.0 ha located at ...anpur Village, Haridwar falls at distance of 9.0 km away from the boundary of Rajaji National Park, Uttarakhand State

Proposal for collection river bed materials (RBM) from an area 92.50 ha located at Budhwa - Shahid, Hetampur falls at distance of 3.9 km away from the boundary of Rajaji National Park, Uttarakhand State

The IGF(WL) briefed the Standing Committee and stated that fourteen proposals are for mining of graphite / granite, collection of river bed materials and their processing units located outside of the protected areas. He stated that these proposals were recommended by the States Chief Wildlife Warden and the State Boards for Wildlife.

The Chairman stated that these proposals shall be deliberated in the forthcoming meeting in the light of the Sustainable Mining Management Guidelines issued by this Ministry.

After discussions, the Standing Committee decided to defer the proposals.

The above recommendation(s) are subject to the existing directives of Hon'ble Supreme Court and provisions of Forest (Conservation) Act, 1980.

Yours faithfully,

(Dr. Pasupala Ravi)
Scientist C

Copy to

1. Chief Wildlife Warden, Department of Environment and Forests, Government of Uttarakhand, 87, Rajpur Road, Dehradun 248 001
2. Additional Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (NCZ), Pearson Road, P.O. New Forest, Forest Research Institute (FRI) Campus, Dehradun 248 006
3. Joint Secretary, IA Division, MoEF&CC
4. Inspector General of Forests, FC Division, MoEF&CC

(Dr. Pasupala Ravi)
Scientist C

Form -I
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No.......21(1)

Dated.....11.6.2020

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The Ministry of Enviroment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagarpalika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Nagarpalika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 61.. to ..64.. annexure

b) The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagarpalika Parishad Mussoorie have given their consent to it.

c) The proposal does not involved recognised rights of Primitive Tribal Group and agriculture communities

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून।

Form-II
For Non linear Project
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No......21(2)
Dated......11.6.20

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of 'The ministry of Environment and Forest (MoEF) Government of india 's letter 11-9/98-Fc(Pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidlines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Regcogination of Forest Rights) Act 2006 (FRA', for Short) on the forest land proposed to be divered for non-forest, it is certified that 0.165 hectare of Notified Forest land proposed to be diverted in favour of **Uttarakhand peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Mussoorie** for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme Dehradun district falls within jurisdication of Nagar Palika Parishad Mussoorie.

It is the further certified that

1. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.165 Hectare of Notified Forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie and sub Division Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 61.. to ..64... annexure
2. The proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular/local language) have been placed herefore such concerned Nagar Palika Parishad Mussoorie of forest-dwellers who are eligble under the FRA.
3. The Nagar Palika Parishad Mussoorie has certified that all formalities/process under the FRA have been carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Chairman Nagar Palika Parishad Mussoorie is enclosed as annexure ..61... to..64... annexure.
4. The discussion and decisions on th such proposals had taken place only when there was a quoum of minumum 50% of the members of Nagar Palika Parishad Mussoorie present.
5. The diversion of forest land for facilities managed by the Govenmant as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Nagar Palika Parishad Mussoorie have given their consent to it.
6. The rights of primitive Tribal Group and Pre- Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl : as above

Signature

(full name and official seal of the District Collector)

District Megistrate
Dehradun

जिलाधिकारी
देहरादून।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICTD DEHRADUN (UK)

Preceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. /Mrs. /Miss:....Dr....Ashish..Kumar Srivastava Deputy commissioner Dehradun on dated..11.6.20at time.......at......which application claiming rights in Mussoorie forest area measuring 0.165 ha for construction of S.T.P. of Camelback Zone under Mussoorie Sewerage Scheme. Forest land under FAR, 2006 if the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Mussoorie Sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny if the documents and detailed discussions, no objection /claims were found have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:...Dehradun
Dated:......11-6-20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District level committee

जिलाधिकारी
देहरादून ।

कार्यालय – जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद– देहरादून

पत्रांक 21(3)

दिनांक – 11.6.20

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एंव पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

दिनांक 4.6.20 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित जिलास्तरीय समिति में जनपद–देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत विकास खण्ड़ सहसपुर में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना में प्रस्तावित कैमलबेक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया, जिस हेतु 0.165 है0 वन भूमि वन विभाग से निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभाओं एंव उपखण्ड़ समिति द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत् प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी मसूरी की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त 0.165 है0 वन भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज के अन्तर्गत आती है, पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी मसूरी की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून। जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	जिलाधिकारी देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून।

पृ0 सं0 .... / .... / दिनांक

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम मसूरी को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
देहरादून

कार्यालय – उप जिलाधिकारी, मसूरी।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण--पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, मसूरी।

उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत वन भूमि क्षेत्र में निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी के अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलवैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति,(तहसील–मसूरी) की दिनांक 24/02/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....वरुण चौधरी............ उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्ननुसार है।

1. श्री/श्रीमती ....वरुण चौधरी........ उप जिलाधिकारी मसूरी अध्यक्ष।
2. श्री/श्रीमती ....अनुज गुप्ता........ अध्यक्ष नगरपालिका परिषद् मसूरी सदस्य।
3. श्री/श्रीमती ....के0पी0 वर्मा........ उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी सदस्य।
4. श्री/श्रीमती ....[illegible]........ सहायक समाज कल्याण अधिकारी सहसपुर देहरादून सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का वैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलवैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजंसी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित नगरपालिका द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के मसूरी रेंज अन्तर्गत प्रस्तावित मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलवैक जोन की एस0टी0पी0 निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 वन भूमि/आरक्षित वन भूमि/निजी भूमि/पंचायत वन भूमि, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी /प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

24/02/2020

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – मसूरी।
जनपद – देहरादून

63

—: प्रमाण—पत्र :—

दिनांक .12.02.2020 को मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत भिलाडु, कम्पनी गार्डन एवं कैमल बैक जोन हेतु प्रस्तावित एस0टी0पी0 एवं सीवर लाईन निर्माण हेतु आवश्यक वन भूमि की स्वीकृति हेतु, वन भूमि अधिनियम 2006 के सम्बन्ध में बैठक हुई, उक्त बैठक मे नगरपालिका परिषद के 50 प्रतिशत से अधिक सभासद उपस्थित थे।

26/05/20

अध्यक्ष नगरपालिका
परिषद मसूरी

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
मसूरी

प्रति हस्ताक्षर

उप जिलाधिकारी
मसूरी।

1. कुलदीप रौंछेला वार्ड न 11-
2. जसबीर कौर वार्ड न -13
3. नन्द लाल वार्ड नं 10
4. प्रताप सिंह पंवार वार्ड न 04
5. दर्शन रावत वार्ड न. 07
(1) 6. सुरेश शालिग्राम
7. आरती अग्रवाल
8 - Pankaj [illegible]
9. [illegible]

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून के मसूरी सीवरेज योजना के अन्तर्गत कैमलबैक जोन में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है० प्राइवेट नोटिफाइड फॉरेस्ट भूमि का प्रत्यावर्तन।

<u>एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन</u>

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (F.C. Division) नई दिल्ली के आदेश संख्या File No.- 5-3/2011-FC (Vol-I), दिनांक–06.01.2022 एवं File No.-5-3/2011-FC(Vol-I), दिनांक–19.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 (Net Present Value) की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी–	VI (Himalayan Moist Temperate Forest)
2. हरियाली का घनत्व.–	0.1 (OF)
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0–	10,69,470.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	0.165 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	0.165 है0 × 10,69,470.00= 1,76,462.55

या **Rs 1,76,463.00**

(एक लाख छिहत्तर हजार चार तिरसठे रू0 मात्र)

ह0

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

फोन: 0135–2736032
Email:- jalnigam.mussoorie@yahoo.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून, 248003

पत्रांक 74 / 133 / 06 दिनांक 05/01/2024

Certificate

It is certified that the work of Musoorie sewerage scheme is under construction vide G.O. No. India vide letter no 59(3) PF-1/2008-587 dated 18.03.2009 and Uttarakhand Govt. letter no भा.स. 77/श0वि0–09–22 (एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 26 मार्च 2009 and the administrative approval for construction of STP (Camel Back Zone) under Musoorie sewerage scheme is still valid.

User Agency

मलवा निस्तारण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मसूरी सीवरेज योजनान्तर्गत कैमलबैक जोन एस0टी0पी0 के निर्माण के समय भूमि की कटिंग एवं फिलिंग की आवश्यकता होगी, जिस कारण प्राप्त मलवा कार्यस्थल पर ही लेवलिंग एवं फिलिंग में भराव में प्रयोग हो जायेगा।

[illegible] अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
मसूरी (देहरादून)

परियोजना का नाम

मसूरी सीवरेज योजना के अनतर्गत कैमल बैक जोन में ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राइवेट नोटिफाइड फोरेस्ट भूमि के के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 0.33 है0 खाली क्षेत्र में 330 पौधों का रोपण करना।

पौधारोपण योजना

जिला	प्रभाग	रेंज	बीट का नाम	कम्पार्टमेंट	क्षेत्रफल (है० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	मोटीधार	मोटीधार क०सं0	0.330

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

रापित की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां
कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग
समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि- पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्ढों में रोपित करना।

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

मसूरी सीवरेज योजना के अनतर्गत कैमल बैक जोन में ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राइवेट नोटिफाइड फोरेस्ट भूमि के के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 0.33 है0 खाली क्षेत्र में 330 पौधों का रोपण करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि (रू0में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	99120.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	23743.00
अनुरक्षण	(प्रथम, द्वित्तीय व तृतीय)	25200.00
योग-		**148063.00**
Say-		148000.00

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

मसूरी सीवरेज योजना के अनतर्गत कैमल बैक जोन में ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राइवेट नोटिफाइड फोरेस्ट भूमि के के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 0.33 है0 खाली क्षेत्र में 330 पौधों का रोपण करना।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	ल0	चौ0	ऊँ0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	प्रथम वर्ष – अग्रिम मृदा कार्य							
1	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना							
2	गड्ढे खुदान (0.30cm x0.30 cm x0.45 cm)				0.33	प्रति हे0	2518.00	830.94
3	तारबाड़ कार्य करना– (प्राक्कलन संलग्न है)				330	प्रति गड्ढा	13.00	4290.00
					210.00	रं0मी0		94000.00
							योग–	99120.94
							या रू0–	99120.00
	द्वितीय वर्ष – रोपण कार्य							
1	तीन वर्ष की पौध की कीमत							
2	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित				330	प्रति पौध	30.87	10187.10
3	कंकड़–पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान करना				330	प्रति पौध	13.67	4511.10
4	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर				330	प्रति गड्ढा	2.35	775.50
5	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा0 प्रति गड्ढा)/जैविकखाद/जीवामृत/				330	प्रति पौध	4.42	1458.60
6	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक				330	प्रति पौध	1.55	511.50
					9	प्रति माह	700.00	6300.00
							योग द्वितीय वर्ष :–	23743.80
							या रू0–	23743.00
	तृतीय वर्ष से पंचम वर्ष तक – अनुरक्षण कार्य– (प्रथम, द्वितीय व तृतीय अनुरक्षण)							
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक रखरखाव आगामी तीन वर्ष तक तक देखरेख कार्य करना	3	x	12	36	प्रति माह	700.00	25200.00
							कुल योग–	148063.00
							या रू0–	148000.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

मसूरी सीवरेज योजना के अनतर्गत कैमल बैक जोन में ट्रीटमेंट प्लान के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.165 है0 प्राइवेट नोटिफाइड फोरेस्ट भूमि के के प्रत्यावर्तन के सापेक्ष 0.33 है0 खाली क्षेत्र में 330 पौधों की सुरक्षा हेतु तारबाड़ कार्य करना

S. N.	Discription	Nos			L	W	H/D	Qty.	Rate		Amount (Rs)
	तारबाड कार्य करना– एंगल आयरन के साथ–							210 RM			
1	GI Barbed wire fencing with 2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm placed every 3 meters center to center and provided with 3 horizontal and 2 diagonal Interwoven wires, fixed with GI staples etc all complete.										
	Barbed wire fencing in 3 line	3	x	70	3.00	-	-	630 RM			
	2 diagonal	2	x	70	3.25	-	-	455 RM			
						Total		1085 RM			
	Barbed wire @ 9.38 Kg per 100 meter (PWD SOR (2022-23) PM0034							102.00 Kg	81.00	Per	8262.00
	2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm (2.10 Mt. Pol, 3.94 kg. per meter.	71	x	1	2.10	-	-	587.00 Kg	65.00	Per	38155.00
	Add for gl staple binding wire, drilling holes etc @ 2 percent of the cost of material.										1500.00
	Add cartege of wire and iron Posts (mechenical and Head load)										3900.00
	Total Item No. 1										51817.00
2	एंगल गाड़ने हेतु गड्ढा खुदान कार्य करना	-	-	-	0.30	0.30	0.60	71 No	10.56	Per	749.76
3	गड्ढो में 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट में एंगल आयरन ग्रोट करना	71	x	1	0.30	0.30	0.60	3.83 Cum	4623.60	Per	17708.39
4	पांच लड़ में कांटेदार तार खिंचना (03 क्षैतिक व 02 कास) कम संख्या 1 के अनुसार							1085 RM	11.00	Per	11935.00
	Total										**82210.15**
	Add GST @ 18% on item No. 1 & 3	**51817.00**			**+**	**17708.39**		**=**	**69525.39**		**12514.57**
	Total										**94724.72**
	Or Say										**94000.00**

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

1-A 2

208

विक्रय–विलेख हेतु वांछित विवरण

1. सम्पत्ति का विक्रय मूल्य	:	रु. 54,69,750–00
2. सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन	:	रु. 42,07,500–00
3. स्टाम्प शीट की संख्या	:	शून्य
4. कुल स्टाम्प शुल्क देय	:	शून्य
5. प्रमुख क्षेत्र	:	नगर पालिका परिषद मसूरी की सीमा के अन्तर्गत
6. क्षेत्र	:	मसूरी, जिला देहरादून
7. विवरण सम्पत्ति	:	रॉकक्लिफ एस्टेट का आंशिक भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर, जो कि कैमल्स बैक रोड, मसूरी जिला देहरादून पर स्थित है।
8. मुख्य मार्ग से दूरी	:	सम्पत्ति कैमल्स बैक रोड पर बहुगुणा पार्क के निकट स्थित है।
9. सर्किल रेट	:	रु. 2550/– प्रति वर्ग मीटर की दर से
10 विक्रेता का नाम व पता	:	रॉकक्लिफ बिल्डर्स प्रा.लि., जिसका मुख्यालय 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 पर स्थित है द्वारा इसके निदेशक श्री राजीव चौहान पुत्र श्री ए.एस. चौहान निवासी 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 2–1–2013 में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत। PAN-N AAHPC1354Q
11. क्रेता का नाम व पता	:	महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा श्री पी.के. गुप्ता अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी शाखा जिला देहरादून, कार्यालय कुटुम्ब विहार, ग्राम व पो. सिनोला जिला देहरादून, उत्तराखण्ड। पेनम्बर 2508/29/2112

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam

विक्रय पत्र

यह विक्रय–विलेख आज दिनांक 5–2–2013 को स्थान देहरादून में रॉकक्लिफ बिल्डर्स प्रा.लि., जिसका मुख्यालय 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 पर स्थित है द्वारा इसके निदेशक श्री राजीव चौहान पुत्र श्री ए.एस. चौहान निवासी 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 2–1–2013 में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत (जिनको इस विलेख में विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है।)

.... विक्रेता

ने

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा श्री पी.के. गुप्ता अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी शाखा जिला देहरादून, कार्यालय कुटुम्ब विहार, ग्राम व पो.ओ. सिनोला जिला देहरादून, उत्तराखण्ड (जिनको इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है।) के पक्ष में अंकित, हस्ताक्षरित व निष्पादित किया।

.... क्रेता

विदित हो कि सम्पत्ति के पूर्व स्वामी श्री ब्रह्म स्वरूप गुप्ता द्वारा सम्पत्ति "रॉकक्लिफ एस्टेट" जो कि कैमल्स बैक रोड, मसूरी जिला देहरादून पर स्थित है, विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 6–12–1943 को क्रय की गई थी जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय देहरादून में बही नं. 1 जिल्द 294 के पृष्ठ सं. 333 से 338 पर दस्तावेज संख्या 1215 के रूप में दिनांक 22–12–1943 को अंकित व पंजीकृत है।

विदित हो कि इस सम्पत्ति के संबंध में एक बंटवारा विलेख दिनांक 26–8–1983 को अंकित हुआ जो कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय, कलकत्ता में बही नं. 1 जिल्द 283 के पृष्ठ 213 से 223 पर दस्तावेज संख्या 8657 के रूप में अंकित व पंजीकृत हुआ। जिसके आधार पर विक्रेता कंपनी उक्त वर्णित सम्पत्ति की मालिक हुई व काबिज हुई तथा नगर पालिका मसूरी के अभिलेखों में विक्रेता कंपनी का नाम बतौर स्वामी दर्ज व अंकित चला आ रहा है। विक्रेता को इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को विक्रित, अंतरित व हस्तान्तरित आदि करने के पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त हैं।

Chauhan

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand...

Sale (Immovable)	प्रलेख सं 208 बही 1	प्रतिफल रु0	मालियत रु0
Sale(Government As Purchaser)		5,469,750.00	4,207,500.00

रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
10,000.00	10.00	180.00	10,190.00	1000

श्री महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पी.के.गुप्ता

पेशा अन्य

निवासी अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम मंसूरी शाखा देहरादून कार्यालय कुटुम्ब विहार ग्राम व पो.ओ. सिनौला देहरादून

ने आज दिनांक 05/02/2013 समय 2:12 pm

को कार्यालय उपनिबन्धक तृतीय, देहरादन

मे प्रस्तुत किया।

उपनिबन्धक तृतीय, देहरादून
05-Feb-2013

महामहिम राज्यपाल
उत्तराखण्ड राज्य द्वारा
पी.के.गुप्ता

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री रॉकक्लिफ बिल्डर्स प्रा.लि द्वारा निदेशक राजीव चौहान s/o ए.एस.चौहान, 21 शारदा निकेतन पीतमपुरा दिल्ली /

ने विक्रय धन मुबलिग 5,469,750.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया।

इस लेखपत्र का निष्पादन क्रेता श्री निष्पादन

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पी.के.गुप्ता, , अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम मंसूरी शाखा देहरादून कार्यालय कुटुम्ब विहार ग्राम व पो.ओ. सिनौला देहरादून/

ने भी स्वीकार किया। जिनकी पहचान
श्री सतीश कुमार
पुत्र श्री नत्थू सिंह
निवासी निरंजनपुर देहरादून
श्री दीपक यत्स- ए ए ई

निवासी कैंट डियीजन मंसूरी उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून
ने की।

उपनिबन्धक तृतीय, देहरादून
05/02/2013

विदित हो कि विक्रेता कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 2–1–2013 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर सम्पन्न हुई। बैठक में उक्त वर्णित सम्पत्ति को विक्रय करने एवं विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर करने, विक्रय पत्र को पंजीकृत कराने हेतु कंपनी के निदेशक श्री राजीव चौहान पुत्र श्री ए.एस. चौहान को अधिकृत किया गया जिसके आधार पर श्री राजीव चौहान इस विक्रय पत्र को हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत कराने के लिए पूर्णतः अधिकृत हैं।

विदित हो कि विक्रेता का स्वामित्व इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के विषय में पवित्र है एवं उक्त भूमि के विक्रय करने के पूर्ण अधिकार विक्रेता को प्राप्त हैं तथा विक्रेता के पास बाजार में विक्रय योग्य स्वामित्व है। इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि किसी भी प्रकार के विवाद में तथा किसी न्यायालय में विवाद में गृहित नहीं है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है। इस भूमि पर कोई भार, अधिभार तथा ऋण नहीं है। यह भूमि किसी स्थान पर बंधक नहीं है। विक्रेता का स्वामित्व व अध्यासन स्वच्छ है।

विदित हो कि क्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर को अंकन रु.54,69,750/– (चौवन लाख उनहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) की धनराशि में क्रय करने को तैयार है और विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि को उपरोक्त धनराशि में क्रेता को विक्रित करने को तैयार है।

<u>अतः पूर्ण स्पष्टीकरण हेतु यह विक्रय पत्र निम्न दर्शाता है–</u>

1. यह कि उपरोक्त विक्रेता, इस विक्रय–विलेख की सूची में वर्णित भूमि को क्रेता महोदय महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी शाखा जिला देहरादून, कार्यालय कुटुम्ब विहार, ग्राम व पो. सिनोला जिला देहरादून को अंकन रु0 54,69,750/– (चौवन लाख उनहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) की धनराशि में विक्रित, अन्तरित तथा हस्तान्तरित करता है तथा भूमि पर स्वामी के रूप में क्रेता महोदय को आरूढ़ करता है। भूमि का वास्तविक अध्यासन स्थल पर विक्रेता ने क्रेता महोदय को देकर भूमि पर आरूढ़ करा दिया है। विक्रित भूमि में क्रेता को जमींदारी एवं काश्तकारी के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। विक्रय प्रतिफल की धनराशि अंकन रु.54,69,750/–

Executive Engineer
Construction Division

(चौवन लाख उनहत्तर हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) विक्रेता ने क्रेता महोदय से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है–

क. रु0 30,00,000/– बजरिये चैक नं. 154844 दिनांक 4–2–2013 इलाहाबाद बैंक, मसूरी शाखा, जिला देहरादून

ख. रु0 24,69,750/– बजरिये चैक नं. 086206 दिनांक 4–2–2013 एक्सेस बैंक, मसूरी शाखा जिला देहरादून

जिसकी प्राप्ति को विक्रेता उपनिबंधक महोदय देहरादून के समक्ष एतद्द्वारा स्वीकार करता है। विक्रय प्रतिफल की एवज में कुछ भी लेना–देना शेष नहीं रह गया है।

2. यह कि विक्रेता ने इस विक्रय विलेख की सूची में वर्णित भूमि से अपना अध्यासन हटाकर उसका वास्तविक अध्यासन क्रेता को स्थल पर दे दिया है और क्रेता को भूमि पर अध्यासित व आरूढ़ करा दिया है। क्रेता को अधिकार होगा कि वह इस विलेख की सूची में वर्णित विक्रित भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठाये, अपने उपयोग उपभोग में लावे, निर्माण करे, काश्त करे, रिहाइश करे, रास्ता, नाली, पानी, हवा, रोशनी आदि का उपयोग करें, राजस्व अभिलेखों में अपने नाम से दाखिल खारिज करायें, या अन्य किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय आदि करें, इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

3. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि की बाबत आज तक देय समस्त कर आदि या अन्य कोई देय पाया जायेगा तो इसकी अदायगी की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी और आज के बाद देय समस्त कर आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व क्रेता का होगा।

4. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि पर कोई भार, अधिभार, ऋण आदि नहीं है और यह भूमि किसी स्थान पर धरोहर या बंधक नहीं है। यह भूमि विवाद व प्रत्येक प्रकार के न्यायालय के विवाद से मुक्त है। भूमि स्पष्ट स्वामित्व की है।

5. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि के साथ उपलब्ध व संलग्न समस्त सुखाधिकार जिसमें हवा, पानी, आवागमन, रास्ता, नाली आदि के अधिकार सम्मिलित हैं व ऐसे अधिकार जो वर्तमान में विक्रेता को उपलब्ध हैं और जो भविष्य में विक्रेता

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Ni...

Book No. 1

Registration Year 2013

Registration No 208

रोकक्लिफ बिल्डर्स प्रा.लि द्वारा निटमेहामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड रा

सतीश कुमार

दीपक वत्स- ए ए इ

प्रतिज्ञ पंच साक्षीगण भद्र प्रतीत होते है । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

उपनिबन्धक तृतीय देहरादून

05-February-2013

को उपलब्ध हो सकते हैं, वह भी स्थाई रूप से क्रेता को अंतरित किये जा रहे हैं।

6. यह कि यदि किसी समय पूर्ण व स्पष्ट स्वामित्व के लिए क्रेता को विक्रेता की सहायता की आवश्यकता पड़ी और विक्रेता द्वारा क्रेता के पक्ष में अन्य कोई पत्र व प्रपत्र अंकित करने की आवश्यकता पड़ी तो विक्रेता, क्रेता की मांग पर व क्रेता के व्यय पर ऐसा प्रपत्र अंकित व निष्पादित करेगा।

7. यह कि यदि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि या उसका कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व दोष के कारण या विक्रेता के किसी अन्य दोष के कारण क्रेता के स्वामित्व व अध्यासन से निकल जाता है तो विक्रेता उसका पर्याप्त हर्जाना क्रेता को अदा करेगा।

वांछित विवरण

1. विक्रित भूमि पर कोई वृक्ष, बाग या निर्माण नहीं है।

2. विक्रित भूमि नगर पालिका परिषद मसूरी की सीमा के अन्तर्गत स्थित है तथा विक्रित भूमि नॉन–जेड.ए. की भूमि है।

3. पक्षकारों के मध्य कोई भी पंजीकृत अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं हुआ है।

4. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि मसूरी, जिला देहरादून में मुख्य कैमल्स बैक रोड पर स्थित है।

5. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर है जिसका सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन रु0 2550/– प्रति वर्ग मीटर है जिसके अनुसार भूमि का कुल मूल्यांकन 1650 X 2550 = रु0 42,07,500/– बनता है लेकिन सम्पत्ति का वास्तविक विक्रय मूल्य रु0 54,69,750/– है। चूंकि वर्तमान विक्रय विलेख में क्रेता महोदय महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी शाखा जिला देहरादून, कार्यालय कुटुम्ब विहार, ग्राम सिनोला जिला देहरादून स्वयं 'पक्ष' हैं इस कारण वर्तमान विक्रय–विलेख में शासकीय मूल्यांकन ही उपरोक्तानुसार निर्धारित किया

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam

गया है परंतु उस पर कोई भी स्टाम्प शुल्क निर्धारित नहीं हुआ है और न ही वर्तमान विलेख के माध्यम से समर्पित किया जा रहा है।

6. यह कि इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि नगर पालिका परिषद मसूरी जिला देहरादून की सीमा के अन्तर्गत स्थित है तथा विक्रित भूमि नॉन–जेड.ए. की है, जिस कारण उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (संशोधन) विधेयक 2003 (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–29 वर्ष 2003) (उत्तरांचल अधिनियम संख्या–12 वर्ष 2006 एवं उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या–1 वर्ष 2007) के प्राविधान वर्तमान विक्रय–विलेख पर प्रभावी नहीं हैं।

7. यह कि इस विक्रय विलेख में जहां शब्द क्रेता व विक्रेता प्रयुक्त किया गया है वहां उनके समस्त उत्तराधिकारी, वारिसान, हित–प्रतिनिधि, स्थानापन्न आदि सभी सम्मिलित होंगे और सभी सम्मिलित समझे जायेंगे। इस विक्रय विलेख के सदैव समान रूप से बाध्य व पाबंद रहेंगे व समझे जायेंगे।

8. यह कि क्रेता द्वारा उक्त भूमि प्रदूषित जल के प्रशोधन संयंत्र (Sewage Treatment Plant) स्थापित करने हेतु क्रय की जा रही है। क्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि संयंत्र से निकलने वाला प्रशोधित जल मानकों के आधार पर होगा। इस जल को अपनी भूमि पर सिंचाई अथवा अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने का अधिकार विक्रेता को होगा। यदि विक्रेता द्वारा उक्त प्रशोधित जल का उपयोग नहीं किया जाता है तो विक्रेता द्वारा क्रेता को उक्त जल को किसी प्राकृतिक नाले तक ले जाने हेतु वांछित मार्ग निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

9. यह कि क्रेता (उत्तराखण्ड पेयजल निगम) को अधिकार होगा कि वह विक्रित भूमि तक आने जाने के लिए कैमल्स बैक रोड से एक तीन मीटर चौड़ा सीमेंट, कंक्रीट का रास्ता अपने व्यय पर निर्मित कर सकेगा। चूंकि विक्रीत भूमि के दोनों ओर विक्रेता की अन्य सम्पत्ति स्थित है अतएव इस रास्ते को उपयोग एवं उपभोग करने का अधिकार विक्रेता एवं क्रेता को समान रूप से होगा। किसी भी पक्ष को इस रास्ते पर किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने एवं अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा। यदि क्रेता को सड़क बनाने हेतु भूमिगत पुश्ता आदि निर्मित करने के लिए

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal N...

अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी तो विक्रेता वांछित भूमि क्रेता को उपलब्ध करायेगा।

विक्रित भूमि का विवरण

रॉकक्लिफ एस्टेट का आंशिक भाग जिसका कुल क्षेत्रफल 1650 वर्ग मीटर जो कैमल्स बैक रोड, मसूरी जिला देहरादून पर स्थित है जिसमें सीवेज को प्रशोधन करने के लिए सीवेज प्रशोधन संयंत्र (Sewage Treatement Plant) हेतु 300 वर्ग मीटर की चौकोर भूमि है तथा इस भूमि/संयंत्र तक पहुंचने हेतु मुख्य कैमल्स बैक रोड से 3 मी0 चौड़े एवं 450 मी0 लम्बाई के मार्ग हेतु भूमि सम्मिलित है। इस प्रकार कुल क्षेत्रफल इस प्रकार है –

20 मी0 x 15 मी0	= 300 वर्ग मी0
450 मी0 x 3 मी0	= 1350 वर्ग मी0
कुल क्षेत्रफल	= 1650 वर्ग मी0

जिसे संलग्न मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता का नाम व पता : रॉकक्लिफ बिल्डर्स प्रा.लि., जिसका मुख्यालय 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034 पर स्थित है द्वारा इसके निदेशक श्री राजीव चौहान पुत्र श्री ए. एस. चौहान निवासी 21, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 2–1–2013 में पारित प्रस्ताव द्वारा अधिकृत

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिह्न :

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

अनामिका

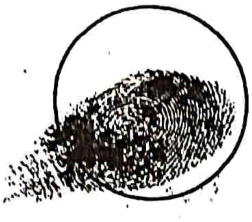

कनिष्ठिका

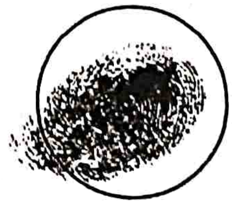

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिह्न :

अंगुष्ठ

तर्जनी

मध्यमा

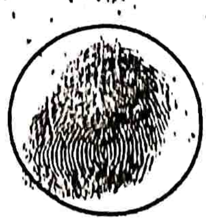

अनामिका

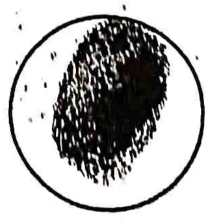

कनिष्ठिका

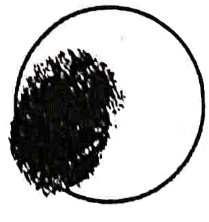

विक्रेता के हस्ताक्षर द्वारा इसके निदेशक

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Mussoorie

[redacted]ता का नाम व पता : महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य द्वारा श्री पी.के. गुप्ता अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, मसूरी शाखा जिला देहरादून, कार्यालय कुटुम्ब विहार, ग्राम व पो. सिनोला जिला देहरादून,

बायें हाथ (**Left Hand**) की अंगुलियों के चिह्न :

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

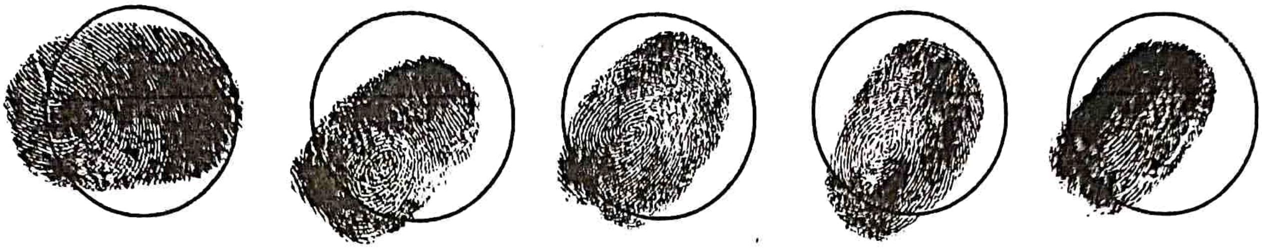

दायें हाथ (**Right Hand**) की अंगुलियों के चिह्न :

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

क्रेता के हस्ताक्षर द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Mussoorie

अतः यह विक्रय विलेख आज दिनांक 05 फरवरी 2013 को स्थान देहरादून में अंकि[illegible] रहे और समय पर काम आवे।

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Pey Jal Nigam
Mussoorie

.... क्रेता
द्वारा अधिशासी अभियंता,
मसूरी शाखा.

....
विक्रेता
द्वारा निदेशक

साक्षीगण :

1. ....
N. Suresh H.N.P.W.
District D/DL No. 93428/2

2. Deepak Vatas
(DEEPAK VATAS) DL No. UK 14 2009 0005983
A.A.E
Const. Divn. Mussoorie.
U.K Peyjal Nigam. D.Dun

पक्षकारों ने एक दूसरे की शिनाख्त की तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर इस प्रपत्र की रचना की गई। पक्षकारों ने स्वयं के चित्रण स्वयं पुष्ट किये।

रचयिता : श्री राहुल शर्मा एडवोकेट देहरादून।

बही नम्बर 1 जिल्द 300 पृष्ठ 139 से 156

में नम्बर 208 पर आज दिनांक 05-February-2013

में रजिस्ट्री की गयी ।

उप निबन्धक तृतीय, देहरादून

साईट प्लान

...क्लिफ एस्टेट का एक भाग जिसका कुल रकबा 1650 वर्ग मीटर स्थित कैमल्स बैक रोड, ... जिला देहरादून (उत्तराखंड) जिसको मानचित्र में लाल रंग की रेखाओ से रेखांकित किया ...ा है।

विक्रेता : रॉकक्लिफ बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक श्री राजीव चौहान

क्रेता : महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड राज्य द्वारा अधिशासी अभियन्ता (निर्माण शाखा), उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी

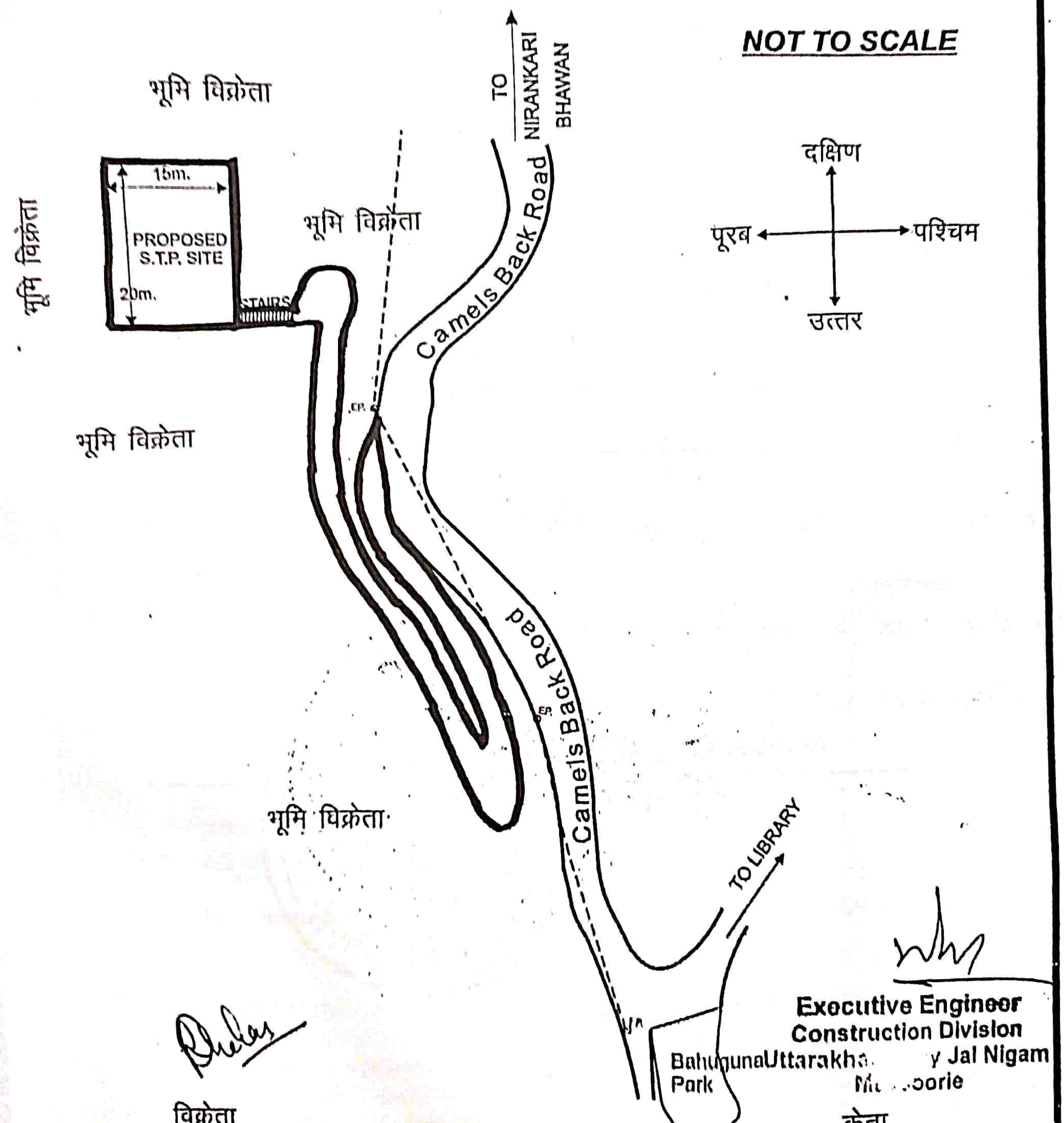

Executive Engineer
Construction Division
Uttarakha... y Jal Nigam
M... ...oorie

विक्रेता
(द्वारा राजीव चौहान, निदेशक)

क्रेता
(द्वारा अधिशासी अभियन्ता)

वही नम्बर 1 जिल्द 300 पृष्ठ 139 से 156

में नम्बर 208 पर आज दिनांक 05-February-2013

में रजिस्ट्री की गयी ।

उप निबन्धक तृतीय, देहरादून

07/2/13

उप निबन्धक देहरादून III जिला देहरादून उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते